न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, सुपौल।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–914/2026
राघोपुर थाना कांड संख्या–149/2026

1. फहाद, उम्र करीब–24 वर्ष, पिता–महफूज आलम, साकिन–गुलजार पोखड़, थाना–मुंगेर, जिला–मुंगेर, वर्तमान पता–मखतब चौक, थाना–राघेपुर, जिला–सुपौल.....आवेदक।

बनाम्

बिहार राज्य.....विपक्षी।

09.07.2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त यथा फहाद की ओर से दाखिल किया गया है, जो कि राघोपुर थाना कांड संख्या–149/2026 अंतर्गत धारा–25(1–b)a/26/35 आर्म्स एक्ट के अधीन दर्ज काण्ड में गिरफ्तारी के भय से आशंकित है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक मो0 रजी अहमद एवं आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विकास कुमार को सुना।

आवेदक अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन के पूर्व कोई जमानत आवेदन न तो विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है और उसे मनगढ़ंत और अत्यधिक अनुमानपूर्ण कहानी के आधार पर इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त के कब्जे, घर या शरीर से कोई भी अवैध हथियार, कारतूस या आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। आवेदक अभियुक्त फहाद का नाम पूरी तरह से सह–अभियुक्त शांहशाह और मो0 क्यामुल द्वारा पुलिस हिरासत में दिये गए कथित बयान/स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर सामने आया है। सह–अभियुक्तों ने कथित तौर पर कहा कि हथियार मकतब चौक पर कामिल और सरफराज को सौंपे जाने थे। यह सह–अभियुक्तों की पुलिस हिरासत में दी गई एक तथ्यात्मक स्वीकारोक्ति है, जिसका काई साक्ष्य मूल्य नहीं है और यह बी0एस0ए0, 2023 की धारा–23 का उल्लंघन करती है। आवेदक अभियुक्त को बरामद हथियारों की कथित खरीद, परिवहन या बिक्री से जोड़ने वाला कोई विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य, प्रत्यक्ष संलिप्तता या ठोस सबूत नहीं है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से सह–अभियुक्त कामिल के साथ उसके पारिवारिक संबंध के कारण सहचर्य द्वारा दोष के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे उसका मामा बताया गया है। सह–अभियुक्त द्वारा हिरासत में रहते हुए पुलिस के समक्ष दिया गया इकबालिया बयान कानून के तहत कोई साक्ष्य मूल्य नहीं रखता है और आवेदक अभियुक्त को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने का एकमात्र आधार नहीं बन सकता है। आवेदक अभियुक्त को इस तरह के सामान्यीकृत, कमजोर और अप्रत्यक्ष तृतीय–पक्ष सुनी–सुनायी बातों के आधार पर न्यायिक हिरासत में भेजना उसकी गरिमा, करियर की संभावनाओं और समाज में प्रतिष्ठा को अपूर्णनीय रूप से नुकसान पहुंचाएगा। आवेदक अभियुक्त धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 में दिये गये सभी प्रावधानों का पालन करने को तैयार है। आवेदक अभियुक्त श्रीमान् के आदेशानुसार बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, सुपौल।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–914 / 2026
राघोपुर थाना कांड संख्या–149 / 2026

आवेदक अभियुक्त, सूचक पु0अ0नि0 अमित कुमार के टंकित आवेदन के आधार पर संस्थित राघोपुर थाना कांड संख्या–149 / 2026 अंतर्गत धारा–25(1–b)a / 26 / 35 आर्म्स एक्ट के प्राथमिकी अभियुक्त हैं। प्राथमिकी के अनुसार सूचक का आरोप है कि दिनांक–24.04.2026 को समय 20:10 बजे सूचना मिली कि शाहंसाह एवं मो0 क्यामुल अवैध हथियार की तस्करी करते हुए तथा अवैध हथियार जिला मुंगेर से मंगवाकर बेचा करते हैं। उक्त सूचना को वरीय पदाधिकारी को सूचिक करते हुए पु0अ0नि0 अमिय प्रसून, पु0अ0नि0 राजु कमार, मुकुल आजाद, पु0अ0नि0 स्वीटी कुमारी साथ सशस्त्र बल के सि0–165 बिहारी कुमारी, सिंह0–175 कृष्णा कुमार के साथ सत्यापन कर शाहंसाह को सिमराही पेट्रोल पम्प के सामने मुख्य सड़क पर से पूछताछ हेतु अभिरक्षा में लेते हुए इसके मोबाईल से मो0 क्यामुल को बुलाया, तो मो0 क्यामुल, मो0 लाल के घर आया तथा मो0 क्यामुल को सिमराही हटिया के पास मो0 लाल के घर से पूछताछ हेतु अभिरक्षा में लेते हुए पूछताछ किया, तो इन्होंने बताया कि दिनांक–23.04.2026 को गद्दी चौक पर स्थित बाबुल के मोटरसाईकिल दुकान पर गद्दी चौक का परवेज एवं मेराज द्वारा एक झोला दिया गया, जिसमें अवैध देशी हथियार था, जिसे मकतब चौक पर कामिल, जो फहाद का मामा है तथा मचहा का सरफराज को देने के लिए बोला गया। हमदोनों गद्दी चौक से मकतब चौक की ओर अपनी हिरो स्पलेंडर मोटरसाईकिल राजिस्टर नं0–BR-50AG-8776 से जा रहे थे, तो जैसे ही 09:00–09:30 की रात्रि ग्राम हुलास नहर पुल के पास पहुंचे, तो देखे कि दो गाड़ी से उत्पाद विभाग की पुलिस के द्वारा लोगों को रोक कर जांच की जा रही थी। मैं शंहसाह उक्त झोला को फेक कर भाग गया तथा क्यामुल को उत्पाद विभाग की पुलिस को रोक कर जांच करने लगी। कुछ देर बाद क्यामुल द्वारा इन्हें बताया गया कि उत्पाद विभाग की पुलिस ने इन्हें छोड़ दी और ये घर चला आया हूं। फेंका हुआ झोला उत्पाद विभाग की पुलिस उठाया कि नहीं उठाया, इन्हें नहीं पता। उक्त फेंके हुए झोले के बारे में पूछने पर बताये कि अगर उत्पाद विभाग की पुलिस ने झोला नहीं उठाया होगा तो झोला सड़क के उत्तर जंगल में गिरा होगा। इसके निशानदेही पर उक्त स्थल पर समय करीब–01:30 बजे पहुंचा तथा पुलिस पार्टी द्वारा खोजबीन करने लगा, तो नहर पुल के सड़क से सटे पश्चिम की ओर झाड़ी में एक नीला रंग का पुराना झोला मिला, जिसे खोलने पर पांच अद्धनिर्मित लोहे का देशी पिस्टल बरामद हुआ तथा एक लोहे का देशी कट्टा, जिसके बट पर लकड़ी लगा हुआ तथा दों जिंदा कारतुस तथा दोनों के पंदी पर ठोकर लगा हुआ और दो अर्द्धनिर्मित लोहे का देशी पिस्टल में बैरल लगा हुआ था। स्वतंत्र साक्ष्पी का खोजबीन किया गया, लेकिन अधिक रात्रि होने के कारण कोई स्वतंत्र साक्षी उपस्थित नहीं मिले, तो साथ के सशस्त्र बल के दो सिपाही को स्वतंत्र साक्षी मानते हुए उनके समक्ष उक्त बरामद अवैध अर्द्धनिर्मित लोहे का देशी पिस्टल, लोहे का देशी कट्टा तथा दो जिंदा कारतूस और एक हीरो स्पलेंडर मोटरसाईकिल तथा दोनों पकड़ाये व्यक्ति के पास से दोनों का एंड्रोयड मोबाईल सेट बरामद कर विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया तथा जब्ती सूची की एक प्रति पकड़ाये दोनों लड़का को हस्तगत कर गिरफ्तारी का कारण बताते हुए विधिवत गिरफ्तार किया तथा इसकी सूचना परिजनों को दिया गया।

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, सुपौल।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–914/2026
राघोपुर थाना कांड संख्या–149/2026

विद्वान अपर लोक अभियोजक मो0 रजी अहमद अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं और खारिज करने की मांग करते हैं।

उभय पक्ष का बहस सुना। अभिलेख एवं कांड दैनिकी का परिशीलन किया। परिशीलन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त पर सह–अभियुक्तो के साथ अवैध हथियार की तस्करी करते हुए तथा अवैध हथियार जिला मुंगेर से मंगवाकर बेचने का आरोप है। कांड दैनिकी की कंडिका–3 में प्रस्तुती सह जब्ती सूची का उल्लेख है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त के कब्जे से कोई वस्तु बरामद नहीं हुई है। कंडिका–5 में सूचक पु0अ0नि0 अमित कुमार का पुनः बयान अंकित है, जिसमें इन्होंने प्राथमिकी में वर्णित तथ्य का पूर्णतः समर्थन किया है। कांड दैनिकी की कंडिका–6, 35, 36, एवं 37 में साक्षीगण का बयान अंकित है, जिसमें इन्होंने अपने–अपने बयान में प्राथमिकी में वर्णित तथ्य को समर्थन किया है। कंडिका–7 एवं 8 में तलाशी एवं जब्ती साक्षी का बयान अंकित है, इन्होंने भी अपने बयान में प्राथमिकी में वर्णित घटना का समर्थन किया है। प्रस्तुत वाद में जब्ती सूची के साक्षी पुलिस वाले है तथा उक्त वाद में कोई भी स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य नहीं लिया गया है। अनुसंधानकर्ता के द्वारा आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से आपराधिक इतिहास होने या ना होने होने का उल्लेख कांड दैनिकी में नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त के कब्जे से कोई गोली/कारतूस तथा देशी कट्टा जब्त नहीं किया गया है। इस प्रकार, आवेदक अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। आवेदक अभियुक्त के कब्जे से भी जब्त की गई कोई वस्तु भी बरामद नहीं हुई है। प्रस्तुत वाद में अनुसंधान प्रायः पूर्ण होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता द्वारा पूछताछ करने के लिए अभियुक्त आवेदक को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक अभियुक्त यथा **फहाद** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है तथा आवेदक अभियुक्त की गिरफ्तारी या आत्म–समर्पण की स्थिति में इस आदेश के प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0–10,000/–रुपये के व्यक्तिगत एवं समान राशि के दो जमानतदारों के साथ बंध–पत्र प्रस्तुत करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–482(2) के शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि आवेदक अभियुक्त का एक जमानतदार नजदीकी संबंधी होंगे एवं वाद के विचारण में सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं करने पर विचारण न्यायालय आवेदक का बंध–पत्र खंडित करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

लेखापित

Sd/-
(तेज प्रताप सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, सुपौल।